माननीय राजस्व, मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 निगरानी निग 1252 निग- 1252-II-16

332

कपूरी देवी पुत्री कुंजविहारी मिश्रा निवासी – भण्डरा (उ.प्र.) हाल निवास लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र.

बनाम

1. ब्रजभूषण पुत्र स्व. श्री ठाकुर प्रसाद रिछारिया
2. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री वद्री प्रसाद रिछारिया
3. अवध कुमार पुत्र स्व. श्री बद्री प्रसाद रिछारिया समस्त निवासीगण लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र.

निगरानी अन्तर्गत धरा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.04.2015 से 05.04.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 83/अ/2013–14 से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदक/निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, अनावेदक ब्रजभूषण द्वारा न्यायालय तहसील लवकुशनगर के राजस्व प्र.क्र. 27/अ–27/96–97 में पारित आदेश दिनांक 29.11.1996 से असन्तुष्ट होकर एक अपील धारा –44 म.प्र.भू. राजस्व संहिता के तहत दिनांक 16.01.2013 को अवधी वाहय निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. यहकि, दिनांक 23.11.1996 से लगभग 18 वर्ष वाद अनावेदक द्वारा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जबकि उक्त आदेश दिनांक 29.11.1996 का पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्र.क्र. 94/अपील/अ–27/1996–97 आदेश दिनांक 27.12.2000 रूपकिशोर बनाम कपूरी दवी के नाम व एक ही वाद बिन्दु पर निराकृत किया जा चुका है जिसका निराकरण पूर्व मे हो चुका है। जिसकी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1252-दो/2016 जिला छतरपुर कपूरी विरूद्ध ब्रजभूषण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री बृजेन्द्र धाकड़ एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 83/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27-04-2015 ~~के 25-04-2016~~ के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	